>

Title: Regarding threat posed to the states of Maharashtra and Karnataka due to the decision given by the Krishna River Water Dispute Authority to increase the height of Alamati Dam.

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): सभापति महोदय, कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.2010 को लिए गए फैसले ने एक नए विवाद का रूप ले लिया है। प्राधिकरण द्वारा अलमट्टी बांध की ऊंचाई 519.66 मीटर से बढ़ाकर 524.256 मीटर कर दिए जाने के कारण महाराष्ट्र के तीन जिलों कोल्हापुर, सांगली और सतारा के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि हम 2005 की भयावह बाढ़ को याद करें, जिसमें इन तीन जिलों की 3.50 लाख आबादी को खाली कराया गया था, लाखों हैक्टेयर खेती बर्बाद हो गई थी, महाराष्ट्र सरकार को पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये धनराशि खर्च करनी पड़ी थी और सरकारी आंकड़ों में 39 मनुष्यों व सैंकड़ों जानवरों की जान चली गई थी, क्योंकि, बांध के कारण पानी ने इतने बड़े क्षेत्रफल में बैक फ्लो मारा था।

अब जबकि इस ऊंचाई को और पांच मीटर बढ़ा दिया जायेगा तो कोल्हापुर, सांगली और सतारा, जो महाराष्ट्र की अन्नपूर्णा और चीनी का कटोरा है, पूर्ण रूप से भारी तबाही में फंस जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस विषय में अपने कानूनी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण की तरफ से कर्नाटक सरकार को हर साल 15 सितम्बर तक 512 मीटर के जलस्तर तक ही पानी रोकने को कहे, ताकि महाराष्ट्र व कर्नाटक के बांध की बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र को जान और माल की हानि से बचाया जा सके।